पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1045
में
2018 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या **3487**

==========

1. बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना।
3. विशेष कार्य पदाधिकारी सह प्रभारी जे.पी. कोषांक, गृह विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय।
4. उप सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी, गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार, पटना।
5. जे.पी. सेनानी सम्मान योजना, गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना।

... ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

देवता देवी, पत्नी स्व. सच्चिदानंद सिंह, निवासी ग्राम तेघरा, थाना- बख्तियारपुर, जिला सहरसा

... ... प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री मोहम्मद इरशाद, एसी टू एससी 1

प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए : श्री रतन कुमार, अधिवक्ता

==========

उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट अपील *--- आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) का रखरखाव --- सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3487/2018 में पारित दिनांक 19.4.2019 के आदेश के खिलाफ अपील, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को जे.पी. सम्मान पेंशन योजना ('योजना') के तहत पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार माना गया था क्योंकि योजना लागू होने से पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी --- अपीलकर्ता की ओर से तर्क कि यहां प्रतिवादी के पति की मृत्यु वर्ष 2004 में हो गई थी, योजना 5.6.2009 को ही लागू हुई --- आगे तर्क कि योजना आने से पहले ही राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया था और आवेदन दायर करने की अंतिम तिथि 31.12.2007 थी और चूंकि रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता था।*

निष्कर्ष: *योजना के अनुसार पारिवारिक पेंशन उन व्यक्तियों और उनके जीवनसाथियों को दी जानी थी जिन्होंने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू किए गए आंदोलन में भाग लिया था और दिनांक **15.7.2015** के संकल्प के अनुसार, उक्त योजना पेंशन उन व्यक्तियों को भी दी जानी थी जो **1***

*महीने से **6** महीने की अवधि के लिए मीसा के तहत जेल में बंद रहे थे, **6** महीने से अधिक की अवधि के लिए और जो जेल में या पुलिस गोलीबारी में मर गए थे --- इसमें आगे प्रावधान किया गया था कि योजना के तहत इन सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद, उनके जीवनसाथियों को उसी दर पर पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी --- इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी के पति को मीसा के तहत हिरासत में लिया गया था और वह **21.9.1975** से **23.3.1977** तक हिरासत में रहे --- हालांकि बिहार राज्य द्वारा वर्ष **2007** में निर्णय लिया गया था और इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि **31.12.2007** थी जो **1992** में शुरू हुई थी। **1.6.2009** को, स्पष्ट रूप से रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के पति ने आवेदन नहीं किया हो सकता था क्योंकि उनकी मृत्यु **27.8.2004** को हो गई थी। --- उक्त योजना का कोई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के कारण उसके लाभ से वंचित नहीं करता है --- जहां तक उक्त योजना के लिए पात्र व्यक्तियों के पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन दिए जाने का संबंध है, यह दिनांक **15.7.2015** के संकल्प द्वारा ही प्रभावी हुआ और प्रतिवादी ने इसके तुरंत बाद आवेदन किया --- रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के आवेदन को अस्वीकार करना अवैध और टिकाऊ नहीं था और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही रूप से खारिज कर दिया गया था --- अपील खारिज --- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार ने प्रतिवादी को **15.7.2015** से वर्तमान तिथि तक योजना के तहत देय और देय कुल राशि का भुगतान **4** महीने की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया। **(पैरा-7, 9-11, 13-16)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

दिनांक: 24-07-2024

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील और प्रतिवादी के विद्वान वकील को

सुना।

2. सी.डब्ल्यू.जे.सी. 3487/2018 में पारित आदेश दिनांक 19.4.2019 के विरुद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

पुनः I. A. संख्या 2/2019

3. अपीलकर्ता द्वारा तत्काल अंतरिम आवेदन दायर किया गया है जिसमें तत्काल अपील दायर करने में 95 दिनों की देरी को माफ करने की प्रार्थना की गई है।

4. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और अंतरिम आवेदन की सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलकर्ता ने अपील दायर करने में देरी को माफ करने का मामला बनाया है। अपील दाखिल करने में हुआ विलंब माफ किया जाता है।

5. आई. ए. संख्या 2/2019 स्वीकृत किया जाता है।

पुनः एल.पी.ए. 1045/2019

6. रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का मामला संक्षेप में यह है कि उनके पति ने जे. पी. आंदोलन में भाग लिया था और इस कारण उन्हें गिरफ्तार कर आदेश संख्या 1034 दिनांक 19.9.1975 समाहर्ता चाईबासा के तहत आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (एमआईएसए) के तहत जेल भेज दिया गया था। वे 21.9.1975 से 23.3.1977 अर्थात 1 वर्ष 6 माह तक जेल में रहे। बाद में 27.8.2004 को उनकी मृत्यु हो गई।

7. रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी का मामला यह है कि राज्य सरकार ने 1.6.2009 से जे.पी. सम्मान पेंशन योजना लागू की। गृह (विशेष) विभाग ने राज्यपाल, बिहार के आदेशानुसार 17.7.2015 को बिहार राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित संकल्प दिनांक 15.7.2015 जारी किया, जिसके अनुसार सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों, जिनमें मीसा के तहत निरुद्ध व्यक्ति भी शामिल हैं, की मृत्यु के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि उनके जीवनसाथी को समान दर पर पेंशन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इस प्रकार रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने 15.7.2017 को तथा पुनः 19.9.2017 को पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया, तथापि, उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं मिला। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उनके

द्वारा दायर आवेदन पर, उन्हें अपर सचिव-सह-लोक सूचना अधिकारी, गृह विभाग, बिहार के हस्ताक्षर से दिनांक 4.12.2017 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि चूंकि उनके पति की मृत्यु 27.8.2004 को हो गई थी और जे.पी. सम्मान पेंशन योजना 1.6.2009 को प्रभावी हुई थी, इसलिए ऐसी विधवाओं को पेंशन देय नहीं है।

8. रिट आवेदन में बिहार राज्य की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें गृह विभाग, बिहार द्वारा रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी को भेजे गए दिनांक 6.12.2017 के एक पत्र को रिकॉर्ड में लाया गया था जिसमें कहा गया था कि नवम्बर 2007 प्रकाशित ताजा विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.12.2007 थी और यह योजना 1.6.2009 को लागू हुई। इसमें आगे कहा गया कि चूंकि उनके पति की मृत्यु योजना के लागू होने से पहले 27.8.2004 को हो गई थी, इसलिए वह उक्त योजना के तहत पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं थीं।

9. रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने दिनांक 4.12.2017 के पत्र में शामिल उस संचार के खिलाफ इस न्यायालय का रुख किया, जिसमें उसे बताया गया था कि वह जे.पी. सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभ की हकदार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 19.4.2019 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3487 /2018 को अनुमति दी, जवाबी हलफनामे के अनुबंध-डी में निहित आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत गृह (विशेष) विभाग, बिहार ने रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को सूचित किया था। योजना लागू होने से पहले अपने पति की मृत्यु के कारण योजना के तहत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होना। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के दावे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए मामले को बिहार राज्य को वापस भेज दिया क्योंकि जेपी आंदोलन के प्रतिभागियों को उपलब्ध लाभ रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के मामले में भी संतुष्ट था। विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 19.4.2019 के इस आदेश के विरुद्ध त्वरित अपील प्रस्तुत की गई है।

10. अपीलकर्ता-बिहार राज्य के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत किया गया कि जबकि प्रतिवादी के पति की मृत्यु वर्ष 2004 में हुई थी, यह योजना 5.6.2009

को लागू हुई। योजना आने से पहले ही राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया था और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2007 थी. इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

11. अपीलकर्ता-बिहार राज्य के विद्वान वकील और रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी के विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि जबकि प्रतिवादी के पति की मृत्यु 27.8.2004 को हुई थी, बिहार राज्य आयुक्त-सह सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार के हस्ताक्षर से दिनांक 27.4.2007 को एक संकल्प निकाला गया जिसमें कहा गया था कि उन व्यक्तियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने या तो जेल गए या अपनी जान गंवाई और ऐसे व्यक्तियों के आश्रित भी जो अब जीवित नहीं थे और इसके लिए सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। संकल्प दिनांक 5.6.2009 द्वारा, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार ने जे.पी. सम्मान पेंशन योजना (संक्षेप में 'योजना') निकाली जो 1.6.2009 से प्रभावी थी और जिसके अनुसार पारिवारिक पेंशन दी जानी थी उन व्यक्तियों को जिन्होंने 18.3.1974 से 21.3.1977 की अवधि के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में भाग लिया था। इसमें आगे प्रावधान किया गया कि पेंशन उसी श्रेणी के उन व्यक्तियों के जीवनसाथियों को भी दी जाएगी जिनकी संबंधित अवधि के दौरान जेल में या पुलिस गोलीबारी में मृत्यु हो गई। इसके बाद गृह (विशेष) विभाग ने दिनांक 15.7.2015 को एक संकल्प निकाला, जिसके अनुसार उपरोक्त योजना के तहत 1 महीने से 6 महीने की अवधि के लिए एमआईएसए के तहत जेल में बंद व्यक्तियों को या पेंशन का भुगतान किया जाना था या 6 महीने से अधिक की अवधि और जो लोग जेल में या पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे, को पेंशन का भुगतान किया जाना था। इसमें आगे प्रावधान किया गया कि योजना के तहत इन सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को समान दर से पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

12. 17.7.2015 को बिहार गजट (असाधारण) में प्रकाशित बिहार सरकार

के गृह (विशेष) विभाग के संकल्प दिनांक 15.7.2015 का प्रासंगिक खंड (के) यहां तत्काल संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"(के) उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे पेंशनभोगी जिनकी मीसा/डीआईआर के अन्तर्गत जेल में निरूद्ध अवधि एक माह से छः माह तक थी, उनकी पेंशन रू. 2500/- (दो हजार पांच सौ) से बढ़ाकर रू. 5000/- (पांच हजार) की जाएगी तथा छः माह से अधिक अवधि तक जेल में निरूद्ध पेंशनभोगियों की पेंशन रू. 5000/- (पांच हजार) से बढ़ाकर रू. 10,000/- (दस हजार) की जाएगी तथा जेल में या पुलिस फायरिंग में संबंधित अवधि में मृत समान श्रेणी के व्यक्तियों के जीवनसाथी को दी जाने वाली मासिक सम्मान पेंशन रू. 10,000/- (दस हजार) से बढ़ाकर रू. 10,000/- (दस हजार) की जाएगी तथा पुलिस फायरिंग में घायल व्यक्तियों को दी जाने वाली मासिक सम्मान पेंशन रू. 2500/- (दो हजार पांच सौ) से बढ़ाकर रू. 15,000/- (दो हजार पांच सौ) की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों को 5000/- (पांच हजार) रुपये की राशि दी जाएगी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात पेंशन एवं अन्य सुविधाएं उनके जीवनसाथी को समान दर पर दी जाएंगी।"*
> *(जोर दिया गया)*

13. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के स्पष्ट दावे के खिलाफ कि उसके पति को मीसा के तहत चाईबासा कलेक्टर के आदेश संख्या 1034 दिनांक 19.9.1975 के अनुसार हिरासत में लिया गया था और तब से 21.09.1975 से 23.03.1977 हिरासत में रखा गया है। अपीलकर्ता-बिहार राज्य द्वारा उक्त तथ्य का कहीं भी खंडन नहीं किया गया है। दोनों पत्र दिनांक 4.12.2017 (रिट आवेदन का अनुलग्नक-8) और पत्र दिनांक 6.12.2017 (रिट आवेदन में प्रतिशपथ पत्र का अनुलग्नक-डी), दोनों गृह विभाग द्वारा रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को भेजे गए हैं। की उनका आवेदन तुरंत बाद का है उसे पारिवारिक पेंशन से वंचित करने का कारण यह है कि उसके पति की मृत्यु 1.6.2009 को जे.पी. सम्मान योजना के लागू होने से बहुत पहले 27.8.2004 को

हो गई थी, वह उक्त योजना के तहत पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी।

14. न्यायालय की राय में हालांकि बिहार राज्य द्वारा वर्ष 2007 में एक निर्णय लिया गया था और 1.6.2009 को शुरू हुई योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.12.2007 थी, जाहिर तौर पर रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी आवेदन नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी पति की मृत्यु 27.8.2004 को हो गई थी। जहां तक उक्त योजना के लिए पात्र व्यक्तियों के पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन देने का सवाल है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह गृह विशेष विभाग के संकल्प दिनांक 15.7.2015 द्वारा ही प्रभावी हुआ।

15. जे. पी. सम्मान योजना के प्रावधानों के साथ-साथ दिनांक 15.7.2015 के बाद के संकल्प को देखने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि उक्त योजना का कोई भी प्रावधान किसी भी व्यक्ति को मरने के कारण उसके लाभों से वंचित नहीं करता है। वास्तव में दिनांक 5.6.2009 और 15.7.2015 के दोनों संकल्पों के शुरुआती पैराग्राफ उन व्यक्तियों के जीवनसाथी को लाभ प्रदान करते हैं जिनकी जेल में या पुलिस गोलीबारी में मृत्यु हो गई। रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी केवल दिनांक 15.7.2015 के संकल्प के अनुसार ही योजना का हकदार है। रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के आवेदन की अस्वीकृति अवैध थी एवं टिकाऊ नहीं थी और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसे सही ढंग से रद्द कर दिया गया था।

16. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को 15.7.2015 से प्रभावी जे.पी. सम्मान योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार मानता है, यानी उन व्यक्तियों के पति/पत्नी जो 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एमआईएसए के तहत हिरासत में रहे थे। मासिक पेंशन के हकदार थे, जैसा कि यहां ऊपर उद्धृत संकल्प के खंड-के में दिया गया है।

17. न्यायालय को बिहार राज्य की तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज कर दिया गया।

18. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को योजना के तहत 15.7.2015 से वर्तमान तिथि तक देय कुल राशि का भुगतान प्राप्ति के 4 महीने की अवधि के भीतर करेगी। इस आदेश की प्रति प्रेषित करें तथा

योजना के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में पारिवारिक पेंशन का नियमित भुगतान भी करें। यदि बकाया राशि का भुगतान यहां दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं किया जाता है, तो देय राशि पर नियत तारीख से भुगतान की तारीख तक 5% की दर से ब्याज लगेगा और राज्य द्वारा ब्याज की ऐसी देनदारी की स्थिति में, यह राज्य और राज्य द्वारा भुगतान किया जाएगा ऐसी देरी करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों से भुगतान की गई ब्याज राशि वसूलने का हकदार होगा। पेंशन राशि की भुगतान अगस्त, 2024 से शुरू हो जाएगी।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायाधीश)

बिभाष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।